उ□र □देश शासन
सं□थागत □व□ कर एवं निब□धन अनुभाग-**1**
27/2017 सं**0**-सं**0**□व**0**क**0**नि**0-1-267/11-2015-29/90**ट□**0**सी**0**
लखनऊः □दनांकः 08 अ□ैल**, 2015**

□व□ ि□/□व□धेय

उ□र □देश मू□य सवं□□त्त कर नियमावली-2008 के नियम-4 के उपनियम(8) तथा नियम-5 के उपनियम (5) के अधीन अधिकार□ का □योग करके रा□यपाल, राज□व व □वशि□ अभिसूचना निदेशालय, उ0□0 म□ तैनात संयु□ निदेशक/उप निदेशक, वा□ण□य कर को स□पूण□उ□र □देश म□ उ□र □देश मू□य सवं□□त्त कर अधिनियम-2008 क□ धारा-45 तथा धारा-48 के अधीन अधिकार□ का □योग करने के लिए अधिकृत्त करते है।

इस संबंध म□ पूव□ निगत्त □व□ ि□/□व□धेय सं□या-□व0क0-1-1980/□यारह-29/90, □दनांक 20.04.1991 को एतद□ारा उ□ वत संशोधित □कया जाता है।

आ□ा से,

बीरेश कुमार
□मुख सचिव।

सं**0**-सं**0**□व**0**क**0**नि**0-1- 267 (1)/11-2015** तद□दनांक।

□ितिलिप नि□नलि□खत को सूचनाथ□एवं आव□यक कायव्ाह□ हेतु े□षतः-

1- अधी□ क, मु□ण एवं लेखन साम□ी, उ0□0 इलाहाबाद को उ□र □देश के राजप□ के आगामी अंक म□ □काशनाथ□एवं उ□ अधिसूचना क□ 1000 □ति शासन को उपल□ध कराने हेतु।
2- कमि□र वा□ण□य कर को उनके प□ सं□या-□वा0कमि0(□व0अनु0शा0)/मु0/स0प0/वैट अधिनियम/उपनिदेशक/14-15/2910/वा□ण□य कर □दनांक 09.02.2015 के संदभ□म□इस आशय से े□षत □क कृपया उपयु□ अधिसूचना को अपने अधीन□थ □वभाग के सम□त अधिका□रय□ को □चालित कराने का क□ करा।
3- अ□य□, वा□ण□य कर अधिकरण, उ0□0 लखनऊ।
4- निदेशक, राज□व व □वशि□ अभिसूचना निदेशालय, उ0□0 सचिवालय, एने□सी भवन, लखनऊ।
5- सम□त □जलाधिकार□, उ0□0।
6- कर एवं निब□धन अनुभाग-2, 3 व 4
7- गाड□फाइल।

आ□ा से,
ह0/-
□भु शंकर
संयु□ सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in